

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: नारायण सिंह चारण, आर0ए0एस0)

अपील /26 /2019 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

तेजसिंह पुत्र ग्यासिया जाति गूजर निवासी सीदपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर  
.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

.....रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 06.03.2019 नायब तहसीलदार  
बयाना मिसिल नम्बर 78/2018 अन्तर्गत राज. भू. राजस्व  
अधिनियम 1956

उपस्थित :-


- 1-श्री हनुमान प्रसाद गोयल अभिभाषक अपीलान्ट,
- 2-पेरोकार सरकार



निर्णय

दिनांक 11.10.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 06.03.2019 के खिलाफ पेश की गई है। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि फैसला न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना दिनांक 06.03.2019 खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है जो काविल मंसूखी है। अपीलान्ट को धारा 91 एल.आर. एक्ट का नोटिस दिनांक 21.02.2019 को उपस्थित होने का तहसीलदार बयाना ने दिया था। अपीलान्ट दिनांक 21.02.2019 को स्वयं एवं दिनांक 25.02.2019 को जरिये अभिभाषक न्यायालय तहसीलदार बयाना के यहां उपस्थित हुआ था और दिनांक 28.02.2019 को न्यायालय तहसीलदार बयाना ने जबाब हेतु दिनांक

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)

06.03.2019 प्रदान की गई थी। अपीलान्ट ने तहसीलदार बयाना के यहां दिनांक 06.03.2019 को जबाब पेश किया था और तहसीलदार बयाना ने जबाब को नायब तहसीलदार को शामिल पत्रावली करने के आदेश दिये थे। पत्रावली दिनांक 15.02.2019 से लेकर दिनांक 06.03.2019 तक तहसीलदार बयाना के न्यायालय में जेर तहकीकात थी और पत्रावली की आर्डरसीट से कतई पता नहीं लगता है कि बिना अपीलान्ट को जानकारी दिये नायब तहसीलदार के यहां कैसे पहुंच गई। जबकि कोई आदेश किसी भी सक्षम न्यायालय के पत्रावली को तहसीलदार से नायब तहसीलदार के यहां ट्रांसफर करने के नहीं थे। नायब तहसीलदार ने बिना किसी अधिकार के पत्रावली में अपीलान्ट का अभिभाषक के साथ पेश किया गया जबाब मौजूद था परन्तु नायब तहसीलदार ने जाने किस आधार पर इकतरफा कार्यवाही अपीलान्ट के विरुद्ध कर दी और निर्णय से ऐसा प्रतीत होता है कि नायब तहसीलदार ने अपने ज्ञान का ही उपयोग किया है और कानूनी प्रावधानों का कोई अमल नहीं किया है। यदि अपीलान्ट के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही की गई होती तो आर्डरसीट दिनांक 06.03.2019 में इसका हवाला होता। निर्णय केवल न्यायिक सिद्धान्तों की अवहेलना कर किया गया है क्योंकि जो नोटिस अपीलान्ट के विरुद्ध आराजी खसरा नम्बर 1282 गैरमुमकिन रास्ते 93 ऐयर में से 1 ऐयर बाबत था जबकि नायब तहसीलदार राजकीय सिवायचक/चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करना मानते हैं। निर्णय पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है। नायब तहसीलदार बयाना ने निर्णय करते समय केवल अपना क्रेडिट दिखाने की गर्ज से निर्णय बिना किसी पत्रावली के अवलोकन किये एवं न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये दिया है। नायब तहसीलदार बयाना ने निर्णय देते समय न तो पटवारी के बयान लिये हैं और न इस बात की पुष्टि किये बिना कि अपीलान्ट का आराजी खसरा खसरा नम्बर 1282 रवका 93 ऐयर में से किस हिस्से पर अतिक्रमण है जबकि अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 1135 में मकान बना हुआ है और आराजी खसरा नम्बर 1136 में अपीलान्ट ने रिजका की फसल बोई थी और अपीलान्ट के भाई ने बोई थी। पटवारी हल्का श्री मुकुट बिहारी ने




अपीलान्त व उसके भाई के विरुद्ध रिपोर्ट अन्य व्यक्ति जिन्होंने कि आराजी खसरा नम्बर 1282 रास्ता आम मे अतिक्रमण कर रखा है और उनके विरुद्ध मिल्लत से कोई रिपोर्ट नही की है जबकि इस बात की रिपोर्ट गांव के कई मौजिज व्यक्तियों ने तहसीलदार, जिला कलक्टर एवं अन्य अधिकारी के समक्ष कर रखी है। अपीलान्त ने अपने जबाब में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि आराजी खसरा नम्बर 1282 के किसी भी हिस्से पर कोई अतिक्रमण अपीलान्त का नहीं है परन्तु फिर भी नायब तहसीलदार ने बिना कोई जांच कराये अपीलान्त को अतिक्रमी मानकर पैनल्टी एवं फसल जब्त करने की कार्यवाही गलत की है जो काविल निरस्त योग्य है। अपीलान्त का जो आराजी खसरा नम्बर 1135 में मकान बना हुआ है उसको जाने के लिये रास्ता आराजी खसरा नम्बर 1282 में ही होकर है। इस प्रकार भी मकान के सामने अतिक्रमण कर फसल बोनो का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर फैसला नायब तहसीलदार बयाना दिनांक 06.03.2019 को निरस्त फरमाने जाने का निवेदन किया गया।



अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड एवं तहत पत्रावली तलब की गई। नायब तहसीलदार बयाना से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 एलआर एक्ट के तहत तहसीलदार बयाना द्वारा नोटिस जारी किया गया है जबकि अपीलाधीन आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना द्वारा पारित किया गया है। उनका कहना है कि अपीलान्त की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बयाना के यहां नोटिस का जबाब दिनांक 06.03.2019 को पेश किया गया है। नायब तहसीलदार बयाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2019 में प्रार्थी के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि अपीलान्त ने दिनांक 06.03.2019 को ही अपना जबाब पेश कर दिया गया था। योग्य

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)

अभिभाषक अपीलान्त का यह भी कथन है कि जब प्रकरण न्यायालय तहसीलदार बयाना के यहां विचाराधीन था तो पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना के यहां किस आदेश से आई इसका कोई उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में अपीलान्त के पास कोई सूचना नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी के बयान वगैरा भी नहीं लिये हैं। नायब तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो खारिज योग्य है।

पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में जाहिर किया कि प्रकरण तहसीलदार बयाना के यहां संधारित था। नायब तहसीलदार द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई आदेश का उल्लेख नहीं है कि यह प्रकरण न्यायालय तहसीलदार बयाना से नायब तहसीलदार बयाना के न्यायालय में आया। अपीलान्त राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर फसल बोककर अतिक्रमण किया गया है यह तथ्य रिपोर्ट पटवारी से स्पष्ट है।

हमने योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रकरण न्यायालय तहसीलदार बयाना के यहाँ विचाराधीन था तथा अपीलान्त को धारा 91 एलआर एक्ट के तहत नोटिस तहसीलदार बयाना द्वारा जारी किया गया है। तहत पत्रावली में अपीलान्त द्वारा नोटिस का जबाब भी तहसीलदार बयाना के समक्ष दिनांक 06.03.2019 को पेश किया गया है जब कि नायब तहसीलदार बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अपीलान्त के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गई है जो न्याय संगत नहीं है। तहत पत्रावली की आर्डरसीट में प्रकरण को नायब तहसीलदार बयाना के यहाँ भेजने का कोई उल्लेख नहीं है। नायब तहसीलदार बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश जिस प्रकार पारित किया गया



है वह विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण तहसीलदार बयाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं कि वे प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बयाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें।



निर्णय आज दिनांक 11.10.2019 को सुनाया गया।

*(Signature)*  
11/10/19  
(नारायण सिंह चारण)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर